



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

E-Mail-cicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 1124 / 37व्यक-सा0/2017

दिनांक 26/ 05 / 2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी/पिथौरागढ़/पौड़ी एवं देहरादून।

विषय:- लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) संवर्ग की भाग-3 (क्रमांक-30 से 44) तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- शासकीय कार्यालय ज्ञापसंख्या-612/ 111(1)/ 18-101(अधि0)/ 10 दिनांक 21.05.2018।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-615/ 111(1)/ 17-101(अधि0)/ 2010 दिनांक 25.05.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) संवर्ग की भाग-3 (क्रमांक 30 से 44) तक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित कर परचालित करते हुए लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं (वि0/याँ0) से यह अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी अभियन्ता को इस पर कोई आपत्ति है, तो वे अपना प्रत्यावेदन लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध किसी भी कार्मिक द्वारा लोक निर्माण अनुभाग-1 को अपनी आपत्तियों उपलब्ध नहीं करायी गयी।

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-612/ 111(1)/ 18-101(अधि0)/ 10 दिनांक 21.05.2018 द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 में निहित प्राविधान के अनुसार सम्यक रूप से परीक्षणोपरान्त संलग्न सूची के अनुसार सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) क्रमांक 30 से 44 तक (भाग-3) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए इस निर्देश के साथ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है कि प्रश्नगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार कर संबंधित अभियन्ताओं को उपलब्ध करायी जाये।

अतः उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि सहायक अभियन्ता (वि0/याँ0) संवर्ग की भाग-3 (क्रमांक 30 से 44) तक अन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार प्रसार कर अपने अधीनस्थ संबंधित अभियन्ताओं को उपलब्ध कराकर शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

(सत्येन्द्र शर्मा)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता 05/11वाँ वि0/याँ0 वृत्त लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत सूचना अपने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं/लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, वि0/याँ खण्ड, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची लोक निर्माण विभाग वेबसाइट पर अपलोड की गयी है, तदनुसार अधीनस्थ सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई.टी. विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। (संलग्न-यथोपरि)।
5. गार्ड पत्रावली हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

1.T
Upload करें
21.6
29.05.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

26.05.18
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

22/05/10

C.E (144) / 17 (Hend)

1610

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या - /111(1)/18-101(अधि0)/10
देहरादून, दिनांक 21 मई, 2018

क्रमांक-31

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-615/111(1)/17-101(अधि0)/2010, दिनांक 25.05.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ता (वि0/या0) संवर्ग की भाग -3 (क्रमांक 30 से 44) तक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित कर परिचालित करते हुये लोक निर्माण विभाग में समस्त सहायक अभियन्ताओं (वि0/या0) से यह अपेक्षा की गयी कि यदि किसी अभियन्ता को इस पर कोई आपत्ति है, तो वे अपना प्रत्यावेदन लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त सहायक अभियन्ता (वि0/या0) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध किसी भी कार्मिक द्वारा लोक निर्माण अनुभाग-1 को अपनी आपत्तियां उपलब्ध नहीं करायी गयी।

2- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में पूर्व चयन वर्ष प्राप्त कार्मिकों को ऊपर रखा गया है किन्तु एक ही चयन वर्ष के सापेक्ष पृथक-पृथक संवर्ग से कई कार्मिकों की पदोन्नति होने पर उनकी ज्येष्ठता पोषक पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा लोक सेवा आयोग की प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में डिग्रीकोटे में पदोन्नति के विरुद्ध दायर सिविल अपील संख्या-10194/2013 उत्तराखण्ड राज्य बनाम एस0के0 सिंह व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-7862/2013 (11307/2013) उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम ललित मोहन गोयल व अन्य में यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाते है, तो प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची तदनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में निहित प्राविधान के अनुसार सम्यक रूप से परीक्षणोंपरान्त संलग्न सूची के अनुसार सहायक अभियन्ता (वि0/या0) क्रमांक 30 से 44 तक (भाग-3) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

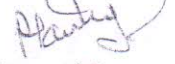
संख्या- 612/111(1)/18-101(अधि0)/10 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का व्यापक प्रचार -प्रसार कर सम्बन्धित अभियन्ताओं को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को लोक निर्माण विभाग की वेब साइट पर सार्वजनिक किये जाने हेतु प्रेषित।

3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग खण्ड, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार।
5. सम्बन्धित अभियन्तागण।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(प्रदीप मोहन नौटियाल)

अनु सचिव।



लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में पदोन्नत/सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियन्ता (वि०/या०) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची
भाग-3 (क्रमांक 30 से 44 तक)

क्र० सं०	श्रेणी/चयन का वर्ष	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	विभाग में कनि०अभि०/सहा०अभि० (सि०/प्रा०) के पद पर नियुक्ति की तिथि	विनियमितकरण से चयन की तिथि	सहा०अभि० के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति का शासनादेश व दिनांक	जाति सामान्य/अनु०जा० अ०ज०जा०/पि०जा०	भर्ती का स्रोत	टिप्पणी
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
30	2010-11	श्री धीरेन्द्र सिंह रावत	श्री त्रिलोक सिंह रावत	21.08.1956	24.09.1983	—	1290/111(1)/10-69 (अधि०)/10 दि० 23.11.12	सामान्य	पदोन्नति	सेवानिवृत्त
31	2012-13	श्री मनोज मल्होत्रा	श्री हरनारायण मल्होत्रा	07.05.1960	09.04.1986	—	—तदैव—	सामान्य	पदोन्नति	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त
32	2012-13	श्री तेजपाल सिंह	श्री पृथ्वी सिंह	15.05.59	20.06.89	—	—तदैव—	अनु०जाति	पदोन्नति	—
33	2012-13	श्री मदन सिंह चौधरी	श्री एम०पी० चौधरी	15.08.1955	05.03.1984	—	1774/111(1)/13-69 (अधि०)/10 दि० 13.08.13	सामान्य	पदोन्नति	सेवानिवृत्त
34	2012-13	श्री जयपाल सिंह चौहान	श्री शिव सिंह चौहान	01.02.1958	04.11.1984	—	—तदैव—	सामान्य	पदोन्नति	—
35	2012-13	श्री ओमपाल गुप्ता	श्री हेमराज गुप्ता	14.03.1960	28.09.1988	—	—तदैव—	सामान्य	पदोन्नति	—
36	2013-14	श्री निशांत नेगी	श्री बच्ची सिंह नेगी	04.10.1990	15.02.2014	—	348/111(1)/14-420 (PWD)/2001 टी०सी० दि० 05.02.14	सामान्य	सीधी भर्ती सहा०अभि०	—
37	2013-14	श्री पंकज बर्वाल	श्री एल०एस० बर्वाल	15.03.1989	17.02.2014	—	—तदैव—	सामान्य	सीधी भर्ती सहा०अभि०	—

38	2013-14	श्री ललित मोहन बघेल	श्री भगवान सिंह बघेल	24.09.1986	19.03.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
39	2013-14	श्री शोभित जोशी	श्री मनोहर चन्द्र जोशी	30.06.1991	15.02.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
40	2013-14	श्री पंकज नयाल	श्री खड़क सिंह	07.05.1991	17.02.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
41	2013-14	श्री गौरव चन्द्रा	श्री विष्णु प्रसाद चन्द्रा	17.07.1987	10.02.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
42	2013-14	श्री सूरज भान सिंह	श्री जबर सिंह	19.07.1986	15.02.2014	-	-तदैव-	अन्य पि0जाति	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
43	2013-14	सुश्री प्रीति पन्त	श्री ललित पन्त	05.04.1991	10.02.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-
44	2013-14	श्री हरेन्द्र सिंह	श्री दर्शन लाल	11.08.1988	14.03.2014	-	-तदैव-	सामान्य	सीधी भर्ती सहा0अभि0	-

Anand
(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव